

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मुख्यालय

મહાનદી ભવન, નવા દાયપુર અટલ નગર, જિલા-દાયપુર (છ.ગ.)

क्र. ६१ / एफ-७-१९५/३१/एस-२/२०२१,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक १३/०२/२०२३

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत पोता से मालखरौदा होते हुए बड़े सीपत तक नहर के बांयी नहर का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत् ।

संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-1287/बौ.प्र./AA/2021/10632, नवा रायपुर,
दिनांक 17.12.2021.

— 60 —

राज्य शासन एतद् द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत पोता से मालखरौदा होते हुए बड़े सीपत तक नहर के बांधी नहर का निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 315.56 लाख (रूपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख छप्पन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से सिंचाई में हो रही 140 हेक्टेयर क्षेत्र में कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षमता 230 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।
 3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
 4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
 5. योजना पर व्यय बजट लेखाशीर्ष मांग संख्या—23, लेखाशीर्ष—4700—वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [01] हसदेव बांगो परियोजना {800} अन्य व्यय, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (2898) बांध तथा संलग्न कार्य #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
 6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक—1455, सी.एन.—31—00442/बजट—2/वित्त/चार/2023, दिनांक 27.01.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
 7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
 8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
 9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के साज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

३०३१२३
(प्रस्तुति द्वारा)

अवर संचिव

पृष्ठा छत्तीसगढ़ शासन
१३१^{१३} जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 612 / एफ-7-195/31 / एस-2/2021,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 13/02/2023

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—जांजगीर—चांपा (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, केलो बांध निर्माण मण्डल, खरसिया, जिला—रायगढ़।
14. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो केनाल संभाग क्र.—5, खरसिया, जिला—रायगढ़।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।



SP (M/S)
13/02/23
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
SP (L/K)
13/02/23